भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 743
दिनांक 14 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

सेफ सिटी प्रोजैक्ट

743. श्री रोड़मल नागरः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र ने महिला सुरक्षा हेतु सामरिक उपाय करने के लिए आठ शहरों में 'सेफ सिटी प्रोजैक्ट' के कार्यान्वयन हेतु निधियां आवंटित की हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निधियों के प्रयोग हेतु जारी दिशानिर्देश, यदि कोई हों, तो क्या हैं; और
(ग) क्या सरकार ने उक्त कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है?

उत्तर

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(क) से (ग) : जी, हां । सरकार ने देश के 08 प्रमुख नगरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से निर्भया कोष के अंतर्गत 2919.55 करोड़ रुपये मूल्य की सुरक्षित शहर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है । नगर-वार ब्यौरा इस प्रकार :

क.सं.	नगर	मूल्यांकित राशि (रुपये करोड़ों में)
1.	दिल्ली	663.67
2.	मुम्बई	252.00
3.	चेन्नई	425.06
4.	अहमदाबाद	253.00
5.	कोलकाता	181.32
6.	बैंगलुरु	667.00
7.	हैदराबाद	282.50
8.	लखनऊ	195.00
	कुल	2919.55

गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षित नगर परियोजनाओं के लिए बनाए गए दिशानिर्देश, जिनमें निधियन का पहलु भी शामिल है, संलग्न हैं । यह परियोजनाएं वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 की अवधि में गृह मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ।

*****

अनुलग्नक

सेफ सिटी प्रोजैक्ट विषय पर श्री रोड़मल नागर द्वारा दिनांक 14 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 743 के उत्तर में संदर्भित विवरण

गृह मंत्रालय
भारत सरकार
(महिला सुरक्षा प्रभाग)

सुरक्षित शहर - ढांचा और दिशानिर्देश

1. निर्भया कोष के अंतर्गत सुरक्षित शहर परियोजना

1.1 हालांकि भारत के संविधान में 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, तथा 'कानून और व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व मूल रूप से संबंधित राज्य सरकारों का है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दुर्भाग्यपूर्ण निर्भया घटना के पश्चात केंद्र सरकार ने बड़े/महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों को सुदृढ़ बनाने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपायों की अनुपूर्ति करने के लिए अंत:क्षेप करने का निर्णय लिया है ।

1.2 जबकि सुरक्षित शहर संकल्पना विकसित हो रही है, मंत्रालय ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शियां जारी की हैं । न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट में इन पर विचार किया गया है और ग्रामीण तथा शहरी स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए निर्धारित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) सामान्य स्थानों पर सड़कों, गलियों में अच्छी रोशनी की व्यवस्था
(ख) महिलाओं के लिए स्वच्छता सुविधाएं - पीड़ितों के लिए परामर्श केंद्रों और आश्रय गृहों का प्रावधान
(ग) जन परिवहन प्रणालियों में सुरक्षा
(घ) पुलिस में जैंडर संचेतना तथा पीड़ितों की सहायता के लिए पुलिस स्टेशनों में महिला कक्षों की स्थापना, टेलीफोन बूथों/हॉट लाईनों की व्यवस्था
(ड.) सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी तथा प्रौद्योगिकी आधारित अंत:क्षेत्र

1.3 इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने निर्भया कोष की स्थापना की है, जो सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए परियोजनाएं चलाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध हैं । निर्भया कोष परियोजनाओं के अंतर्गत संकल्पित अनेक पहलों के भाग के रूप में बड़े/महानगरों के लिए 'सुरक्षित शहर परियोजनाएं' एक प्रायोगिक पहल है, जो इन दिनों 08 चुनिंदा शहरों, नामत: अहमदाबाद, बैंगलुरु, चेन्न्ई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई में शुरू की गई है। सुरक्षित शहर परियोजनाओं के मूल संचालकों के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कमियों का पता लगाने के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है । निर्भया कोष का इस्तेमाल महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करने में शहरों/महानगरों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए मौजूद कमियों को सुदृढ़ बनाने में किया जा सकता है ।

2. सुरक्षित शहर परियोजना के उद्देश्य

2.1 निम्नलिखित के सुदृढ़ीकरण द्वारा बड़े शहरों/महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना :

(क) सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए नागरिक सुविधाएं
(ख) विधि प्रवर्तन अभिकरणों, परामर्शदाताओं और कानूनी सहायता तक महिलाओं की पहुंच को सुगम बनाना ।
(ग) संभावित अपराध स्थलों पर निगरानी रखने, अपराधियों की खोज करने और यौन आक्रमणों के मामलों में महिलाओं को सहायता प्रदान करने में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग
(घ) जैंडर संबंधी मुद्दों, विशेषकर यौन आक्रमण से जुडे मामलों में सुरक्षा उपायों, आक्रमण के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराने तथा पीड़ितों को सामुदायिक सहायता उपलब्ध कराने के बारे में समुदाय में संचेतना पैदा करना

3. सुरक्षित शहर परियोजना के घटक

3.1 सुरक्षित शहर परियोजना में न्यूनतम अपेक्षित इनपुट घटक : इस मामले में न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों तथा विगत में गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई परामर्शियों को ध्यान में रखते हुए, अपराधों के विरूद्ध महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित घटकों को न्यूनतम अपेक्षित घटकों के रूप में देखा जा रहा है :

(क) स्मार्ट निगरानी
(ख) सुरक्षित क्षेत्र क्लस्टर (प्रकाश, ईसीबी आदि की पूरी व्यवस्था)
(ग) महिलाओं के स्वच्छता सुविधाएं
(घ) महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में अधिक सुरक्षा
(ड.) जैंडर तटस्थता तथा यौन अपराधों के संबंध में समुदायिक पहुंच और जागरुकता
(च) महिलाओं और बच्चों के लिए समेकित सहायता केंद्र (विधि प्रवर्तन अभिकरण, कानूनी परामर्श)
(छ) जीआईएस आधारित अपराध मानचित्रण

3.2 घटक/अभिनव घटक, जहां अन्य परियोजनाओं/स्कीमों के साथ अभिसरण संभव है : सुरक्षित शहर परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षित है कि वे सुरक्षित शहर परियोजनाओं के निम्नलिखित घटकों में शहरों में चलाई जा रही अन्य परियोजनाओं/स्कीमों, जैसे स्मार्ट सिटी परियोजना अथवा स्वच्छ भारत के साथ अभिसरण की संभावना का पता लगाए :

(क) मोबाइल डिवाइस टर्मिनल
(ख) आपात प्रत्युत्तर वाहन
(ग) फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रहण तथा हैंडलिंग सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना
(घ) सीसीटीवी निगरानी, भंडारण आदि सहित कमांड तथा कंट्रोल केंद्र गतिविधियां
(ड.) सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के लिए नैटवर्किंग तथा बैंडविड्थ
(च) प्रवासी सहायता केंद्र - अस्थायी शयन कक्ष आदि
(छ) सभी महिला पुलिस स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण

3.3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने बजट से सहायता-प्राप्त घटक : सुरक्षित शहर परियोजनाओं में ऐसे घटक हो सकते हैं, जिनका निधियन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने बजट से किया जा सकात है । यद्यपि इन घटकों की संकल्पना निर्भया कोष के अंतर्गत सुरक्षित शहर परियोजना के एक भाग के रूप में की जा रही है । इन घटकों को, जिन्हें उपर्युक्त पैरा 3.1 तथा 3.2 में शामिल नहीं किया जा सकता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के घटकों में शामिल किया जा सकता है और इनमें जनशक्ति खर्च आदि भी शामिल है ।

4. सुरक्षित शहर परियोजनाओं के परिणाम

4.1 सुरक्षित शहर परियोजनाओं में वांछनीय परिणाम महिलाओं को कम खतरे के सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने में अधिक सुविधा से संबंधित है । सुरक्षित शहर परियोजनाओं के महत्वपूर्ण परिणामों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) परामर्श तथा यौन अपराधों के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए महिलाओं की पुलिस स्टेशनों तक पहुंच में वृद्धि (जैसा कि आगंतुकों की संख्या से स्पष्ट है) ।
(ख) प्रात:काल और देर रात तक सार्वजनिक स्थलों का दौरा करने में महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि (आगंतुकों की संख्या से स्पष्ट) ।
(ग) शहरों में महिलाओं और बच्चों के साथ यौन अपराधों में कमी ।
(घ) विपत्ति के समय प्रतिक्रिया व्यक्त करने अथवा अपराधियों की खोज और पता लगाने में विधि प्रवर्तन अभिकरणों की प्रतिक्रिया समय में कमी ।
(ङ.) नियमित अंतराल पर तृतीय पक्ष अभिकरण द्वारा सुरक्षा संबंधी संवीक्षा ।

5. सुरक्षित शहर परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन

5.1 सुरक्षित शहर, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में एक विकसित हो रही संकल्पना है, जिसके लिए वैश्विक आधार पर मानक अभी परिभाषित किए जाने हैं जबकि न्यायमूर्ति वर्मा की रिपोर्ट सहित अनेक रिपोर्टें उपलब्ध हैं, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए देश में नागरिक सुविधाओं, सुरक्षा तथा विधि प्रवर्तन तंत्र में सुधार किए जाने पर बल दिया गया है, लेकिन प्रत्येक शहर में कमियों का पता लगाने के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं का मामला एक ऐसा विषय है, जिसपर सुरक्षित शहर परियोजनाओं के लिए योजना तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए । इस बात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने निर्भया कोष के अंतर्गत सुरक्षित शहर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की पहल की है । इस दृष्टिकोण में सुरक्षित शहरों के लिए अनिवार्य मानक निर्धारित करने की बजाय (जो कि मौजूदा सुरक्षित शहर परियोजनाओं का अनुभव प्राप्त करने के पश्चात भविष्य में किया जाएगा), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी-अपनी अवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।

5.2 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सुरक्षित शहर के लिए परियोजना प्रस्तावों की छानबीन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, इलैक्ट्रानिकी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पुलिस विभाग तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उप-समिति द्वारा गृह मंत्रालय में की जाएगी । उप-समिति परियोजना प्रस्तावों पर अपनी सिफारिशें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, इलैक्ट्रानिकी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, बीपीआर एंड डी तथा सिविल सोसाइटियों के प्रतिनिधियों सहित केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली एक संचालन समिति को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करेगी ।

5.3 मूल्यांकन के बाद गृह मंत्रालय में संचालन समिति की सिफारिशें निर्भया फंड के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अधिकारित समिति को मूल्यांकन के लिए भेजी जाएंगी । कथित समिति से सुरक्षित शहर परियोजना का अनुमोदन हो जाने के उपरांत गृह मंत्रालय ईएफसी/एसएफसी, जैसा भी मामला हो, की मंजूरी के बाद सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति लेगा और स्वीकृति आदेश जारी करेगा ।

6. सुरक्षित शहर परियोजनाओं के लिए वित्त–पोषण

6.1 सुरक्षित शहर परियोजनाओं के लिए वित्त–पोषण निर्भया निधियों के माध्यम से किया जाएगा । परियोजना के लिए निधि केन्द्र तथा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों सहित राज्यों में क्रमश: 60:40 के अनुपात में शेयर की जाएगी । तथापि, उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्यों (हिमाचल प्रदेश,जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड) के मामले में निधियां 90:10 के अनुपात में शेयर की जाएंगी । बिना अपनी विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में वित्त पोषण शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा ।

6.2 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना के लिए निधियों का केन्द्रीय शेयर, ईएफसी/एसएफसी की सिफारिश (शों) के बाद केन्द्र स्तर पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद सहायता अनुदान के रूप में जारी किया जाएगा । सुरक्षित शहर परियोजनाओं के लिए परियोजना शुरू करने हेतु उपस्करों / सामग्री की अधिप्राप्ति की आवश्यकता निमित्त पूंजीगत व्यय का अधिकांश घटक होने के तथ्य पर विचार करते हुए परियोजना के लिए निधियां निम्नानुसार निर्मुक्त की जाएंगी :

i. पहली किश्त – कुल अनुमोदित परियोजना निधियों का 67% या पहली किश्त के रूप में राज्य द्वारा मांगी गई निधियों की कुल राशि राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को एडवांस में जारी की जाएगी ।
ii. दूसरी किश्त - कुल परियोजना निधियों का 28% या तीसरी किश्त घटाने के बाद शेष परियोजना निधि, जो भी कम हो, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को पहली किश्त के रूप में निर्मुक्त निधियों के 60% राशि उपयोग कर लेने पर निर्मुक्त की जाएगी ।
iii. तीसरी किश्त – राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना के लिए निधियों की 5% राशि, परियोजना के लिए निर्मुक्त कुल निधियों की 90% राशि उपयोग कर लेने सहित मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट (जैसाकि नीचे खंड 8 में वर्णित है) गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करने पर रिलीज़ की जाएगी ।

6.3 स्थानीय जरूरतों तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य परियोजना निधियों की 25% राशि फ्लेक्सी-फंड घटक के रूप में उपयोग कर सकते हैं (व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी फ्लेक्सी-फंड पर दिशा-निर्देशों की एक प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है) ।

6.4 प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेगा कि वह राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया की शर्तों के अनुसार सुरक्षित शहर परियोजना के लिए अधिप्राप्ति का पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके का पालन करेगा ।

6.5 प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र से प्राप्त परियोजना निधि के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-2 पर संलग्न जीएफआर 2017 के नियम 239 की शर्तों के अनुसार प्रारूप जीएफआर 12-सी में वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करेगा ।

7. सुरक्षित शहर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग

7.1 राज्य स्तरीय सर्वोच्च समिति : राज्य / संघ राज्य क्षेत्र परियोजना के कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग के लिए एक सर्वोच्च समिति का गठन करेगा जिसके अध्यक्ष सचिव होंगे तथा इसमें सचिव,गृह विभाग, नगर पुलिस आयुक्त / नगर निगम आयुक्त, राज्य नोडल / संबंधित विभागों,जिनकी कार्य मदों को अनुमोदित सुरक्षित शहर परियोजना में लिया जा रहा है, से प्रतिनिधि शामिल होंगे । राज्य / संघ राज्य क्षेत्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से भी प्रतिनिधि आमंत्रित कर सकते हैं ।राज्य /संघ राज्य क्षेत्र मासिक आधार पर सुरक्षित शहर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकते हैं तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट साझा कर सकते हैं । सृजित एवं स्थापित परि-सम्पत्तियों की प्रगति पर ब्योरे गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित सुरक्षित शहर कार्यान्वयन निगरानी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे ।

7.2 केन्द्र स्तरीय समितियां : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में निर्भया निधि पर अधिकारियों की एक अधिकार-प्राप्त समिति का गठन किया है । यह समिति प्रगति तथा परियोजना के लिए जारी की गई निधि की नियमित निगरानी करेगी । गृह मंत्रालय में महिला सुरक्षा प्रभाग संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों से इन्पुट लेने के बाद सुरक्षित शहर परियोजनाओं में प्रगति पर अधिकार प्राप्त समिति को अद्यतन स्थिति से अवगत कराएगा ।

7.3 लेखा परीक्षा : सुरक्षित शहर परियोजनाओं से संबंधित लेखांकन रिकार्ड तथा संबंधित दस्तावेज सांविधिक लेखा परीक्षा तथा गृह मंत्रालय की आंतरिक लेखा परीक्षा के अधीन हो सकते हैं । राज्य सरकार आवश्यक होने पर ऐसी लेखा परीक्षा के लिए सभी सूचना एवं रिकार्ड उपलब्ध कराएगी ।

8. सुरक्षित शहर परियोजनाओं के परिणामों का मूल्यांकन

8.1 राज्य उपर्युक्त पैरा 4.1 में दिए गए पैरामीटरों पर या राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के निर्णय के अनुसार किसी अन्य अतिरिक्त पैरामीटर पर परियोजना के परिणामों का स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराएगा । राज्य गृह मंत्रालय के समुचित अनुमोदन से आवश्यक होने पर किसी मध्यावधि सुधार के लिए परियोजना के कार्यान्वयन का मध्यावधि मूल्यांकन भी करेंगे ।

फ. नं. 55(5)/पीएफ-II/2011

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

योजना वित्त-II प्रभाग

नई दिल्ली, 06 सितम्बर, 2016

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

<u>विषय : केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में फ्लैक्सी फण्ड के लिए दिशा निर्देश</u>

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 06 जनवरी, 2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर सबका ध्यान दिलाया जाता है। इसमें कहा गया था कि कानूनी तौर पर इससे छूट प्राप्त अथवा जहां पूरा अथवा आंशिक बजटीय आवंटन ही फ्लैक्सीबल न हो, को छोड़कर केंद्रीय मंत्रालय केंद्रीय तौर पर प्रायोजित प्रत्येक स्कीम के लिए आवंटित राशि के 10 प्रतिशत बजट को फ्लैक्सी फंड के रूप में उपलब्ध कराऐंगे।

2. मुख्य मंत्रियों के उप समूह तथा परामर्शदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों की सिफारिशों के आधार पर नीति आयोग ने 17 अगस्त, 2016 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या ओ-11013/02/2015-सीएसएस एंड सीएमसी के द्वारा सीएसएस के योक्तिकीकरण के लिए कतिपय दिशानिर्देश जारी किए हैं। कथित कार्यालय ज्ञापन के पैरा 6 के अनुसार प्रत्येक सीएसएस में उपलब्ध फ्लैक्सी फंड को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत समग्र वार्षिक आवंटन के क्रमश: 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 30 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से संग्रहित किया जाएगा।

3. ये हिदायतें केंद्रीय तौर पर प्रायोजित सभी स्कीमों पर लागू होंगी। इनसे सिर्फ कानूनी तौर पर लागू स्कीमों (यथा मनरेगा) अथवा जहां पूरा अथवा आंशिक बजटीय आवंटन ही फ्लैक्सीबल हो (जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, श्यामाप्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन आदि) को छूट होगी। इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन नं. 55(5)/पीएफ-II/2011, दिनांक 06 जनवरी, 2014 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:-

उद्देश्य

4. केंद्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीमों में फ्लैक्सी फंड घटक का उपयोग नीचे लिखे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है:-

I. स्थानीय आवश्यकताओं और जरूरतों के मद्देनजर किसी भी निर्दिष्ट स्कीम के समग्र उद्देश्यों के अंतर्गत उप-शीर्ष के स्तर पर राज्यों को फ्लैक्सीबिलिटी (नमनीयता) उपलब्ध कराना।

II. किसी भी निर्दिष्ट स्कीम के समग्र उद्देश्यों के अंतर्गत उप-शीर्ष के स्तर पर दक्षता में सुधार लाने की दृष्टि से नवोन्मेषी प्रयोग को बढ़ावा देना।

III. प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उपशमन तथा पुर्नबहाली जैसी गतिविधियों को चलाने अथवा आन्तरिक सुरक्षा गड़बड़ियों से प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय जरूरतों को पूरा करना।

निधि आवंटन तथा अनुमोदन

5. राज्य, यदि चाहें तो किसी भी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (जिसमें केंद्रीय तथा राज्य का शेयर किसी वित्त वर्ष में दिया जाता है) के 25 प्रतिशत बजटीय आवंटन को फ्लैक्सी फंड के रूप में अभिचिन्हित कर सकते हैं और

इन्हें अनुमोदित स्कीमों के समग्र उद्देश्यों और प्रयोजनों से जुड़े नवाचारों अथवा घटकों और किसी अन्य उप-स्कीमों पर खर्च कर सकते हैं।

6. फ्लैक्सी फंड सुविधा का लाभ उठाने वाले राज्य को स्वीकृति परियोजनाओं अथवा फ्लैक्सी फंड घटक के अंतर्गत गतिविधियों के लिए आरकेवीवाई की तर्ज पर ही एक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) गठित करनी होगी। तथापि किसी भी केंद्रीय स्कीम के अंतर्गत फ्लैक्सी फंड सुविधा हासिल करने के लिए एसएलएससी के गठन में संबद्ध मंत्रालय की सहभागिता अनिवार्य होगी।

7. यह ध्यान रखें किसी भी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का नाम, उसका संक्षिप्त रूप उसका प्रतीक चिन्ह (लोगो) और उसकी अन्य सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं फ्लैक्सी फंड घटक के अंतर्गत अक्षुण रहनी चाहिए। यदि राज्य सरकार किसी भी प्रमुख विशेषता में कोई बदलाव लाती है तो इस स्कीम में केंद्रीय अंशदान की बात पूरी तरह से खत्म हो जाती है और इस तरह यह फ्लैक्सी फंड घटक पूरी तरह से राज्य स्कीम बन जाती है।

फ्लैक्सी फंड का उपयोग

8. फ्लैक्सी फंड मौजूदा केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का एक हिस्सा बना रहेगा। यह और इसके घटक किसी स्कीम, सब-स्कीम के स्तर पर प्रचालित बने रहेंगे किंतु अम्बरैला कार्यक्रमों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। उदाहरणार्थ प्राथमिक शिक्षा स्कीम के अंतर्गत नए नवोन्मेषी घटकों के निर्माण के लिए इसका उपयोग हो सकता है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा निधियों को उच्च शिक्षा या किसी अन्य क्षेत्र में लगाने का कार्य इसमें नहीं किया जा सकता। तथापि परिणामों की प्रभावोत्पादकता और उनके असर को बढ़ाने, उनमें सुधार लाने के लिए किसी अम्बरैला कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के अभिमुखीकरण के लिए फ्लैक्सी फंड के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है। उदाहरण के लिए आगंनवाड़ी सेवाओं को सुधारने के साथ-साथ मातृत्व लाभों के प्रसार तथा स्वास्थ्य देखभाल के लिए पोषाहार मिशन का उपयोग किया जा सकता है और प्राथमिक, माध्यमिक तथा क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेवा की मात्रा के विस्तार में स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है।

9. यह भी ध्यान रखा जाए कि फ्लैक्सी फंड का उद्देश्य राज्यों को स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना और केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों द्वारा कवर किए गए कार्यों को पूरा करना है। राज्य सरकार की नितान्त निजी और राज्य स्तरीय स्कीमों के लिए इस फंड का इस्तेमाल न किया जाए। इसका उपयोग सरकारी अधिकारियों के लिए आवास बनाने/ सरकारी कार्यालयों की मरम्मत/ निर्माण, सामान्य प्रचार, वाहनोंकी खरीद/ कार्यालय फर्नीचर की खरीद, ड्यूरेबल/नॉन डयूरेबल उपभोक्ता सामानों के वितरण - सरकारी कर्मचारियों को पारिश्रमिक/पुरस्कार देने जैसे अनउत्पादक कार्यों के लिए फ्लैक्सी फंड का इस्तेमाल न किया जाए।

मॉनीटरिंग, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा

10. मौजूदा एम16 में विशेष रूप से तैयार किए गए मॉडयूल को जोड़ा गया है, जिससे कि फ्लैक्सी फंड के उपयोग की वेब-आधारित सूचना दी जाए। इस सूचना में आउटकम (मध्यम अवधि), आउटपुट (लघु अवधि) इस सूचना का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ ही फ्लैक्सी फंड के उपयोग की तस्वीरें/फोटो भी शामिल होनी चाहिए ताकि पूरे राज्य में इस खर्च में बरती गई ईमानदारी और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके।

11. फ्लैक्सी फंड का मूल्यांकन मौजूदा मूल्यांकन तंत्र, जो मंत्रालयों, नीति आयोग और स्वायत्त तीसरी पार्टियों के द्वारा विधिवत मान्य है, द्वारा किया जाना चाहिए। इस मूल्यांकन के लिए नियम और शर्तें इस तरीके से तैयार की जाएं कि स्कीम से प्राप्त होने वाले सभी नतीजे तथा फ्लैक्सी फंड के परिणामों को मापनीय, गणनीय और स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जा सके।

12. प्रत्येक केंद्रीय स्कीम के अंतर्गत फ्लैक्सी फंड मौजूदा केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के समान लेखा परीक्षा अपेक्षाओं के अधीन होगा, जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाने वाली लेखा परीक्षा भी शामिल होगी।

13. ये दिशा-निर्देश वित्त मंत्री के अनुमोदन से जारी किए गए हैं तथा इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

(ह.)
(अरुणिश चावला)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

1. सचिव सभी विभाग/मंत्रालय भारत सरकार
2. मुख्य सचिव, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

फार्म जीएफआर 12–ग

[(नियम 239 देखें)]

उपयोग प्रमाणपत्र का फार्म (केवल राज्य सरकारों के लिए)

(जहां व्यय केवल सरकारी निकायों द्वारा किया गया है)

क्रम संख्या	पत्र सं. और तारीख	राशि	प्रमाणित किया जाता है कि इस मंत्रालय/विभाग के हाशिए में दिए गए पत्र संख्या के तहत .... को वर्ष .... के दौरान स्वीकृत .... रुपए के अनुदान और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की मद में .... रुपए में से .... रुपए का उपयोग उसी प्रयोजन से किया गया जिसके लिए यह स्वीकृत किए गए थे और वर्ष के अंत में शेष .... रुपए की अप्रयुक्त राशि सरकार को अभ्यर्पित (दिनांक .... के पत्र संख्या .... के तहत) की गई है/अगले वर्ष .... के दौरान देय अनुदानों के लिए समायोजित की जाएगी।
	जोड़		

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस तथ्य के प्रति स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर ऋण स्वीकृत किए गए थे, उन्हें विधिवत् पूरा किया गया है/किया जा रहा है और कि मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जांच की है कि धनराशि का उपयोग वस्तुतः उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह दिया गया था।

की गई जांच का स्वरूप

1.

2.

3.

4.

5.

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

तारीख ....

पुनश्च : उपयोग प्रमाणपत्र में स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार और स्कीम के उद्देश्यों, जो इस स्तर पर व्यय का हिस्सा नहीं हैं, को आगे बढ़ाने के लिए सामग्री एवं परिसंपत्तियों के आपूर्तिकर्ताओं, निर्माण एजेंसियों तथा ऐसी ही संस्थाओं को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों के साथ किए गए वास्तविक व्यय अलग से दर्शाए जाने चाहिए। इन्हें प्रयुक्त अनुदान माना जाएगा लेकिन इन्हें आगे ले जाने की अनुमति होगी।